

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2385 /

जबलपुर, दिनांक 27 / 06 / 2020

श्री योगेन्द्र प्रताप चन्दोरिया आत्मज स्व. श्री प्रभुदयाल चन्दोरिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(Co-terminus basis), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवाएँ आवश्यकता न होने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्र D/2386 /

जबलपुर, दिनांक 27 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / -कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स,, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्थापना / लेखा / बजट / पेंशन / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म. प्र, जबलपुर,
8. सहायक, स्थापना / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / प्रोटोकॉल ऑफिसर / डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री योगेन्द्र प्रताप चन्दोरिया आत्मज स्व. श्री प्रभुदयाल चन्दोरिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(Co-terminus basis), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
कि